REGISTERED No. D. 221

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART I—Section 3

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 1962/KARTIKA 19, 1884

रक्षा मंत्रालय

संकल्प

संख्या 19-E, दिनांक 6 नवम्बर 1962.—देश की सीमा पर चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप जो राष्ट्रीय आपात अवस्था पैदा हो गई है उसे देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि देश के सारे संसाधनों को जुटाया जाय। भारत सरकार ने इसलिए राष्ट्रीय रक्षा परिषद बनाने का निर्णय किया है। यह परिषद केन्द्रीय सरकार को देश की रक्षा सम्बन्धी मामलों में परामर्श देगी,

2. परिषद का गठन इस प्रकार होगा :—

प्रधान मंत्री—अध्यक्ष
श्री मोरारजी देसाई
श्री गुलजारी लाल नन्दा
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
श्री लाल बहादुर शास्त्री
श्री वी० के० कृष्णमेनन
बक्शी गुलाम मोहम्मद, प्रधान मंत्री, जम्मू तथा कश्मीर
श्री कामराज नाडार, मुख्य मंत्री, मद्रास
श्री प्रताप सिंह कैरों मुख्य मंत्री पंजाब
श्री वाई० बी० चवन, मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र
श्री सी० बी० गुप्त, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
श्री पी० सी० सेन, मुख्य मंत्री, पश्चिमी बंगाल
जनरल पी० एन० थापर, चीफ आफ़ दी आर्मी स्टाफ
वाइस ऐडमिरल बी० एस० सोमन, चीफ आफ़ दी नेवल स्टाफ
एयर मार्शल ए० एम० इंजिनियर, डी०एफ०सी०, चीफ आफ़ दी एयर स्टाफ
जनरल राजेन्द्र सिंहजी, डी०एस०ओ०

जनरल के० एस० तिमैया, डी०एस०ओ०
वाइस ऐडमिरल आर० डी० कटारी
लेफ्टि० जनरल एस० पी० पी० थोरट, ए०सी०, डी०एस०,ओ०
श्री डी० संजीवैया
श्री अशोक मेहता
श्रीमती इंदिरा गांधी
श्री खंडूभाई देसाई
श्री नवल एच० टाटा
महाराजा पटियाला
श्री एन० आर० पिल्लई
श्री आर० के० नेहरू, महा सचिव, वैदेसिक मामले
श्री एस० एस० खेड़ा, मंत्रिमंडल सचिव
श्री ओ० पुल्ला रेड्डी, रक्षा सचिव
डा० डी० एस० कोठारी
डा० एस० भगवन्तम

3. परिषद के कार्य इस प्रकार होंगे :—

(1) स्थिति के विषय में पूर्ण ज्ञान संकलित करना और समय समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों प सरकार को परामर्श देना,

(2) आक्रान्ता से लड़ने के लिए राष्ट्रीय भावना बनाना और उसे उचित रूप देना,

(3) केन्द्रीय नागरिक समिति को ऐसे मामलों के सम्बन्ध में अपने सुझाव देना जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जनता के सहयोग का उपयोग करने मे आवश्यक समझा जाए,

(4) सरकार को सामान्य रूप से ऐसे अन्य प्रकार के परामर्श देना जो कि आक्रान्ता के विरुद्ध लड़ने में सहायक हों।

4. उपरोक्त पांच मुख्य मंत्रियों को छोड़कर शेष सभी मुख्य मंत्री भी परिषद की बैठक में भाग लेंगे अगर परिषद की बैठक के समय वे दिल्ली में उपस्थित हों।

आदेश दिया जाता है कि यह सकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति इन्हें भेजी जाये :—सभी राज्य सरकारें, राज्यों के सभी मुख्य मंत्री, सभी संघीय प्रदेशों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग, प्रधान मंत्री का सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव, योजना आयोग, विदेश के सभी दूतावासों के प्रधान और सभी अन्य सम्बन्धित अधिकारी।

ओ० पुल्ला रेड्डी, सचिव।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1962